

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी-रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 278/19 वाद  
प्रकरण संख्या : 291/01

GCMS NO : 2019/00221

कन्ना

बनाम

नारा व अन्य


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 धारा 151 जा.दी.

### निर्णय

दिनांक : 12.09.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी श्री कन्ना पिता श्री देवाजी डांगी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। उक्त वाद में वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य आपसी समझाईश करने पर लोक भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। जिससे वादीगण उक्त प्रकरण में आगे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। जिससे प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर उक्त वाद विद्धो फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवम् प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उभयपक्ष का आपस में सहमति से राजीनामा उभयपक्ष द्वारा उक्त वाद को विद्धो हेतु निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा उक्त वाद



प्रकरण संख्या : 278/19

अनवान : कन्ना बनाम नारा व अन्न

निर्णय : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 धारा 151 जादी

से उक्त में आगे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण में  
उक्त से उक्त पर समाप्त की जाकर उक्त वाद विद्धो किया जाता है।

उक्त से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 163/01 अनवान कन्ना बनाम नारा  
उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2012 राजस्व ग्राम  
तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 535, 536, 1081, 1876, 1877, 1878, 1879,  
आराजी संख्या 09 कुल रकबा 1.0200 हैक्टर, आराजी संख्या 395 रकबा 0.1700  
संख्या 1766, 1767 किता 02 कुल रकबा 0.2400 हैक्टर, आराजी संख्या 356 रकबा  
हैक्टर, आराजी संख्या 1764, 1765 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2100 हैक्टर भूमि  
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।  
सरईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



रमेश सीरवी पुनाडिया, ए.ए.एस.

सहायक कलेक्टर

(रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.)

सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.)

गिर्वा - उदयपुर

12/9/24